



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
www.jda.urban.rajasthan.gov.in

कमांक: जविप्रा/उपा./जोन-7/2023/डी-1097

दिनांक 7/6/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/ अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री निकुंज पाठक पुत्र श्री सत्यदेव पाठक	श्रीमती नाथी बाई कुमावत पत्नी श्री तेजमल कुमावत	एफ-9/340	54.00 व.ग.	जविप्रा	चित्रकूट	लीजहोल्ड से फ्री होल्ड पट्टा हेतु	दस्तावेज ऑनलाईन गुमशुदगी रिपोर्ट

उपायुक्त उपायुक्त, जोन-7 अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त उपायुक्त, जोन-7 अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1568

दिनांक 02/6/23

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स. /निजी खातेदारी/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री शशिकान्त वर्मा पुत्र श्री जगदीश वर्मा	उगमकंवर पत्नी श्री गुमान सिंह हि. 1/8, श्री रेवत सिंह, भरत सिंह, लक्ष्मण सिंह पुत्रान श्री गुमान सिंह हि. 3/8 सुप्यार कंवर, ओमकंवर, सुमन कंवर, धाप कंवर पुत्रियां गुमान सिंह हि. 1/2	1684-सी	240 वर्गमीटर	जविप्रा	ग्राम पालडी परसा	लीजडीड	नाम प्रतिस्थापन पत्र

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञापित प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1242


दिनांक 06/06/2023

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	बी-43	श्रीमती विपिन पत्नी श्री मनमोहन सिंह	जविप्रा	बक्सावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	45	श्रीमती अदीति शर्मा पत्नी श्री नितिन शर्मा	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड हेतु
3.	E-120	संगीता खींची पुत्री श्री के. डी. खींची	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा
4.	E-119	संगीता खींची पुत्री श्री के. डी. खींची	श्री गणपति गृ.नि.स. स.लि.	गणेश विहार विस्तार	फ्री होल्ड पट्टा
5.	24	श्रीमती वसुधा चतुर्वेदी पत्नी स्व. श्री वीरेश चंद चतुर्वेदी	जय अम्बेश्वर गृ.नि. स.स.लि.	चौधरी कॉलोनी-III-ए	लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।


उपायुक्त जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/जोन-11/उपा./2023/डी-1608

दिनांक : 06/6/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/नाम हस्तान्तरण/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल व. ग./व.मी. में	गृ.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	मैसर्स गाईड लाईन होम्स एल.एल.पी. अधिकृत पार्टनर श्री प्रदीप प्रभाशंकर साबू पुत्र श्री सुगनचन्द साबू द्वारा ग्राम ठिकरिया तहसील सांगानेर के खसरा नम्बर 733, 747/3 कुल किता 2 क्षेत्रफल 11264.00 वर्गमीटर,	मैसर्स कल्पतरु प्राईम एस्टेट प्रा.लि. जरिये अधिकृत निदेशक विनय चौरडिया	-	11264.00 व.मी.	निजी विकासकर्ता	मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015-मॉडल 3ए	नाम हस्तान्तरण हेतु।	पंजीकृत विक्रय पत्र, मूल पत्रावली गूम होने के संबंध

उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आम सूचना का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में करवाकर समाचार पत्र की एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करावें।

उपायुक्त जोन-11,
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू ओ. नोट

विषय:- विज्ञप्ति प्रकाशन दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में करवाये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के बट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.स.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गू.नि.स.स./ निजी खातेदारी योजना/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	विज्ञप्ति प्रकाशन का कारण
1	श्री बनवारी लाल खण्डेलवाल पुत्र श्री सूरजमल खण्डेलवाल	श्रीमती बुद्धी देवी	बी-72	50.00		मुरलीपुरा	नाम हस्तान्तरण	उत्तराधिकार के आधार पर
2	अंजू गुर्जर पुत्री श्री चन्द्रशेखर गुर्जर	अंजू उर्फ समता चन्द्रशेखर पुत्री श्री चन्द्रशेखर	ए-31	266.66	शिल्पाचार्य	स्कीम नम्बर-7	नियमन	सूची में नाम नहीं

जन सम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर।

यू.ओ.नोट क्रमांक: जविप्रा/जोन-6/23/डी- 1724 दिनांक 06.06.2023

उपायुक्त जोन-6

जविप्रा, जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण

जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सक्विल, जवाहर लाल नेहरु मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन - (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स - +91-141-2574555

ई-मेल : (सम्बंधित अधिकारी का ईमेल)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक:जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8115

दिनांक 06-6-2023

जनसम्पर्क अधिकारी
जविप्रा, जयपुर।

विषय :-90ए की लोक सूचना का प्रकाशन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण में 90ए की लोक सूचना सलग्न प्रारूप अनुसार 8 फ़ोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करवाया जाकर प्रकाशित समाचार पत्र की प्रति अधोहस्तक्षरकर्ता को कार्यालय में उपलब्ध कराने का श्रम करें।



उपायुक्त जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
इन्दिरा सकिंल जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

प्रारूप 13

{नियम 13(2) देखिए}

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क(8) के अन्तर्गत

संख्या... 0-8115

दिनांक... 06-6-2023

लोक सूचना

अधोहरताक्षरी की जानकारी में यह लाया गया है कि निम्न वर्णित खातेदारी कृषि भूमि या उसके भाग का 17 जून 1999 से पूर्व की काल अवधि से गैर कृषिक प्रयोजनों के लिये उपयोग किया जा रहा है/किया गया है और इसलिए उक्त भूमि या उसके भाग के खातेदारों/वारिसान/हितधारी व्यक्तियों को एतद्वारा सूचित किया जाता है, कि आपकी सहमति/असहमति से या आपके द्वारा जरिसे विक्रय पत्र/इकरानामा भूमि हस्तांतरित होने के कारण बजरंग विहार विकास समिति/मैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना बजरंग विहार-3 के सदस्यों द्वारा इसका अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में ले लिया गया है।

उक्त कारण से आपके एवं आपके पश्चात्तवर्ती हस्तांतरियों का कृत्य राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क(8) के विपरित होने के कारण आपके खातेदारी अधिकार उक्त अधिनियम की धारा 90 "क", धारा 91 सम्पत्ति धारा 90ए(5) एवं राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) और तदधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकार में पुर्नग्रहण योग्य है।

अतः यहाँ नहीं आपकी खातेदारी की निम्न वर्णित भूमि के खातेदारी अधिकारों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90 "क" धारा 91 सम्पत्ति धारा 90ए(5) एवं सम्पत्ति राजस्थान अग्निधृति अधिनियम की धारा 63 (II) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये पर्यावरित कर राज्य सरकार के प्रक्ष में पुर्नग्रहित कर लिया जावे।

ग्राम का नाम गय तहसील	होल खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टे.)	स्वामित्व
ग्राम नौदंड तहसील आमेर	2944	0.06	1. कैलाशचन्द पुत्र गोरुउर्फगोमा हिरसा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार 2. गुल्ली पति गोपाल हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 3. गोदी पुत्री गोपाल हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 4. गौरा पुत्र हनुमानसहाय हिरसा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 69 भगवान बाहुबलीनगर निवारक रोड़ जयपुर खातेदार 5. धारी पुत्र मोहरू हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 6. देवनारायण पुत्र हनुमानसहाय हिरसा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 59 भगवान बाहुबलीनगर निवारक रोड़ जयपुर खातेदार 7. पूरणमल पुत्र रामेश्वरलालशर्मा हिरसा- 1/32 जाति- ब्राह्मण नि. कार्लफहड़ी चारणवास खातेदार 8. बड़ी पुत्र मोहरू हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 9. मुपरागीदेवी पति मोहरू हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 10. गैंगलचन्द पुत्र गोरुउर्फगोमा हिरसा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार 11. मनोहरलालचौधरी पुत्र कानाराम हिरसा- 1/32 जाति- जाट नि. प्लाट न. 88 रंजयनगर झोटवाड़ा खातेदार 12. गमता पुत्री गोपाल हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 13. मालीराम पुत्र गोपाल हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 14. लालाराम पुत्र गोरुउर्फगोमा हिरसा- 1/8 जाति- जाट सा. प्लाट खातेदार 15. शिवनारायण पुत्र गोपाल हिरसा- 3/64 जाति- जाट सा. देह खातेदार 16. रंजीवगील पुत्र रोशनलालगील हिरसा- 1/16 जाति- जाट नि. प्लाट न. 339 रंजयनगर जोशीमार्ग कालवाड़ रोड़ खातेदार 17. रंजीवचौधरी पुत्र विजयकुमारचौधरी हिरसा- 1/16 जाति- जाट नि. प्लाट न. 44 विजयवाड़ी पथ न. 7 सीकर रोड़ खातेदार
	3022	0.04	1. धीसा पुत्र रामनाथ हिरसा- 1/4 जाति- कुहार(प्रजापति) सा. देह खातेदार
	3023	0.04	2. भूरा पुत्र मोहन। हिरसा- 1/4 जाति- कुहार(प्रजापति) सा. देह खातेदार 3. मांगू पुत्र लच्छू हिरसा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार 4. हनुमान पुत्र नाथा हिरसा- 1/4 जाति- जाट सा. देह खातेदार
	कुल 3	0.14 हेक्टेयर	

नगरीय विकास, आवास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प17(1)नवि/ अभियान/2021/म.ग.जा जयपुर दिनांक 28.09.2021 के बिन्दु संख्या 5.3 के क्रम में इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त भूमि में हित रखने वाले खातेदार/वारिसान/हितधारी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो गय साक्ष के विज्ञापित प्रकाशन के 07 दिवस में कमरा न. 312 यार्किंग भवन, तृतीय तल, जयपुर स्थित न्यायालय में कार्यालय समय उपस्थित होकर अपनी आपत्ति/सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। नियत समय में आपत्तियां प्रस्तुत नहीं करने की दशा में आपके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करके आपके खातेदारी अधिकारों को पर्यावरित कर भूमि का पुर्नग्रहित किया जा सकेगा।

नोटिस आज दिनांक 06-6-2023 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रांक से जारी किया गया।

प्राधिकृत अधिकारी एवं उपायुक्त
जोन-12 जयपुर, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102600

दिनांक: 31/05/2023

लोक सूचना

श्री RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED THROUGH DIRECTOR SUBHASH CHAND SAINI पुत्र श्री GANESH RAM SAINI जाति MALI निवासी 709, OKAY PLUS TOWER, SECTOR 7 MANSAROWAR, JAIPUR

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृते अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1070/1029	725	0.0725
2.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1072/1057	135	0.0135
3.	गोविन्दपुरा, सांगानेर (जयपुर)	RIYASAT INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	1074/1066	240	0.024
कुल					0.11

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31-05-2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102599

दिनांक: 31/05/2023

लोक सूचना

श्री SUMER SINGH SAINI पुत्र श्री GOKUL CHAND SAINI जाति MALI निवासी C-33, 6 D, ENGINEERS COLONY, NEW SANGANER ROAD, BEHIND SWARN GARDEN, JAIPUR, RAJASTHAN-302020, ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUMER SINGH SAINI	1158/1124	350	0.035
2.	श्री रामपुरा, सांगानेर (जयपुर)	SUMER SINGH SAINI	1160/1126	1300	0.13
कुल					0.165

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 31-05-2023 को जारी की गयी।

जयपुर विकास प्राधिकरण जोन-14
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक : LU2012/JDA/2023-24/102607

दिनांक : 07/06/2023

लोकसूचना

मैसर्स गैलेक्सी माइनिंग प्रा. लि. पता सी-33, सैकिण्ड फ्लोर लालकोठी विधानसभा के पास, जयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री करण पाल सिंह पुत्र श्री किशन सिंह राठौड निवासी-प्लॉट नं.-18, स्कैम नं.-11, शिव विहार कॉलोनी, भीनावाला, काका की कोठी के पास, सिरसी रोड जयपुर।

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्ट.)
1:	बीचपडी, कालवाड (जयपुर)	GALAXY MINING PVT. LTD, C33 SECOND FLOOR, NEAR LAL KOTHI VIDHAN SABHA, JAIPUR.	258 / 100	21678.00	2.1678
			260 / 101	6908.00	0.6908
			266 / 93	7700.00	0.7700
			246 / 102	27942.00	2.7942
			93 / 201	11002.00	1.1002
			253 / 244	5438.00	0.5438
			255 / 91	5674.00	0.5674
			92	13658.00	1.3658
कुल					10.000

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 07.06.2023 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-2/2023/डी-1042

दिनांक 8-5-23

पट्टा विलेख निरस्तीकरण आदेश

7.6.23

Sharma
7.6.23

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहार बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 ब. ग. की लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी की गई थी।

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहार बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 ब. ग. की श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 को दीवानी अपील संख्या 20/2013 (203/2013) विवेक मोदी बनाम जयप्रकाश, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-14, जयपुर महानगर में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2017 के द्वारा अवैधानिक व वैध विरुद्ध होने के कारण वादी के हितों के मुकाबले निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया गया।

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा निवासी 1/562, विद्याधर नगर, जयपुर को उक्त पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई हो तो अथवा किसी न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया तो सूचना मय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक डी-3207 दिनांक 24.08.2018 के द्वारा सूचित किया गया जो वापस इस अंकन के साथ वापस प्राप्त हुआ कि "प्लॉट बंद है।"

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा को 37, मारुती नगर, दादी का फाटक, बैनाड रोड, जयपुर पर पत्रांक 3970 दिनांक 13.11.2018 जारी कर उक्त पारित आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर की गई हो तो अथवा किसी न्यायालय के द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया तो सूचना मय दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसका प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा को उक्त दोनों पतों पर कार्यालय के पत्रांक डी-449 दिनांक 05.03.2021 के द्वारा जारी पत्र तिथि से 15 दिवस में उक्त निर्णय के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की गई है या स्थगन प्राप्त नहीं किया है तो प्रश्नगत भूखण्ड की जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 की समस्त मूल प्रतिया मय स्टाम्प प्रपत्रों के अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया। जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक श्री जयप्रकाश द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है ना ही जारी लीज डीड की मूल प्रतिया कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की गई है।

जोन-2, जविप्रा0, जयपुर द्वारा विज्ञप्ति क्रमांक डी-1030 दिनांक 06.07.2021 का प्रकाशन दैनिक भस्कर समाचार दिनांक 13.07.2021 के संस्करण में करवाया गया कि "

अतः श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल को सूचित किया जाता है कि भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहारी बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 ब.ग. की श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 मूल प्रतिया मय स्टाम्प प्रपत्रों के जारी विज्ञप्ति के 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें।

साथ ही सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि दीवानी अपील संख्या 20/2013 (203/2013) विवेक मोदी बनाम जयप्रकाश, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-14, जयपुर महानगर में पारित निर्णय

लगाता.....

उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

दिनांक 14.12.2017 के द्वारा भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहारी बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 व.ग. की श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 अवैधानिक व विधि विरुद्ध होने के कारण वादी के हितो के मुकाबले निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया गया। अतः उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/इकरारनामा/संवयवहार आदि नहीं करें, यदि किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर्ड विक्रय पत्र/इकरारनामा/संवयवहार आदि किया जाता है तो जविप्रा0, जयपुर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष कमरा नम्बर पीबी-एसएफ-205, द्वितीय तल, पार्किंग स्थल, जयपुर में आपत्ति/सुझाव मय दस्तावेज प्रस्तुत कर दें, अन्यथा बाद-मियाद प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। बाद मियाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नहीं होगी।

उक्त प्रकाशित विज्ञप्ति के सम्बन्ध में नियत समयावधि दिनांक 12.08.2021 तक कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।

श्री विवेक मोदी पुत्र श्री डी.के. मोदी निवासी 37, मारूती नगर, दादी का फाटक, जयपुर को इस कार्यालय के पत्रांक डी-2275 दिनांक 10.11.2021 के द्वारा सूचित किया गया कि " पूर्व में माननीय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश वृत्त जयपुर महानगर के निर्णय दिनांक 14.12.2017 (201/13) में जयप्रकाश की ओर से किसी अधिवक्ता की उपस्थिति दर्ज नहीं है जिसके कारण उक्त निर्णय एक पक्षीय है, सम्भव है कि जयप्रकाश ने एक पक्षीय निर्णय में अपना पक्ष रखने हेतु इसी न्यायालय में पुनः सुनवाई हेतु कार्यवाही प्रारम्भ की हों। प्रकरण की न्यायालय की सम्पूर्ण आदेशिका (नोटशीट) की प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

दिनांक 30.06.2022 को श्री विवेक मोदी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की पालना में भूखण्ड संख्या 77 की लीज डीड को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

भूखण्ड संख्या 77 की लीज डीड के गवाह श्री गजानन्द भुराडिया पुत्र श्री धासीराम निवासी बी-131, करणी विहार, जयपुर एवं श्री बेदराम पुत्र श्री बिरदीचन्द निवासी करणी विहार को प्रश्नगत लीज डीड सहित उपस्थित होने हेतु दिनांक 21.11.2022 के द्वारा सूचित किया गया।

श्री विवेक मोदी पुत्र श्री ध्रुव कुमार मोदी द्वारा इस आशय का शपथ पत्र नोटरीशुद्धा दिनांक 27.04.2023 प्रस्तुत किया गया कि भूखण्ड संख्या 77, करणी विहार, जयपुर का एकमात्र स्वामी है एवं उक्त प्रकरण में यदि कोई अपील होना पाया जाता है अथवा कोई निर्णय पारित किया जाता है अथवा कोई निर्णय पारित किया जाता है तो समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी। जविप्रा को नियमानुसार कार्यवाही किये जाने का अधिकार होगा।

समय-समय पर भूखण्डधारी को भूखण्ड के जारी समस्त लीज डीड प्रपत्रों को प्रस्तुत करने हेतु सूचित किये जाने पर समाचार पत्रों में विज्ञप्ति के प्रकाशन करवाये जाने पर भी कार्यालय में समर्पण नहीं किए गए हैं।

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहार बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 व. ग. की श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20. 04.2002 को दीवानी अपील संख्या 20/2013 (203/2013) विवेक मोदी बनाम जयप्रकाश, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-14, जयपुर महानगर में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2017 के द्वारा अवैधानिक व विधि विरुद्ध होने के कारण वादी के हितो के मुकाबले निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया गया है जिस पर पट्टा निरस्त करने योग्य है।



उपायुक्त जोन-2
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

लगातार.....

भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहार बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 व. ग. की श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 को दीवानी अपील संख्या 20/2013 (203/2013) विवेक मोदी बनाम जयप्रकाश, न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, क्रम संख्या-14, जयपुर महानगर में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2017 के द्वारा अवैधानिक व विधि विरुद्ध होने के कारण वादी के हितों के मुकाबले निष्प्रभावी व शून्य घोषित किया जाकर निरस्त किया गया है जिस पर पट्टा निरस्त करने योग्य है होने के कारण प्रारम्भ से ही शून्य एवं प्रभावहीन मानते हुए एतद्वारा रद्द किया जाता है।

उक्त आवासीय प्रयोजनार्थ जारी पट्टे के जारी होने की तिथि से उपरोक्त रद्दकरण आदेश जारी करने की तिथि तक प्रश्नगत भूखण्ड या इसके किसी भाग पर यदि किसी तृतीय पक्षकार के हित निहित हो गये हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेवारी श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा की होगी, जयपुर विकास प्राधिकरण किसी भी रूप में जिम्मेवार नहीं होगा।

(श्रीफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जॉन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि : सूचनार्थ प्रेषित है

1. श्रीमान् आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
3. उपमहानिरीक्षक, मुद्रांक वृत्त, प्रथम, वृत्त द्वितीय, वृत्त तृतीय, जयपुर को भेजकर लेख है भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना करणी विहार बी के भूखण्ड संख्या 77 क्षेत्रफल 383.93 व.ग. की लीज डीड क्रमांक डी-698 दिनांक 20.04.2002 श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा के नाम से जारी की गई थी को निरस्त कर दिया गया है। अतः इसके विक्रय एवं अग्रिम बेचान सम्बन्धी दस्तावेज को भी पंजीकृत नहीं करने हेतु सभी सम्बन्धित उप पंजीयक को निर्देशित करने का श्रम करें।
4. मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
5. श्री विवेक मोदी पुत्र श्री डी.के. मोदी निवासी 37, मारुती नगर, दादी का फाटक, झोटवाडा, जयपुर
6. श्री जय प्रकाश शर्मा पुत्र श्री रामजीलाल शर्मा निवासी 1/562, विद्याधर नगर, जयपुर
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा0, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त पट्टे को रद्द करने की आम सूचना दैनिक भास्कर/राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित करायी जावें।
8. रक्षित पत्रावली

(श्रीफाली कुशवाह)
उपायुक्त, जॉन-2 एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी-1615

दिनांक 07/6/23

आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री घनश्याम, प्रहलाद, माखन, गोविन्द एवं रमेश पुत्रान् स्व. श्री जगदीश प्रसाद छीपा	श्रीमती भगवती देवी पत्नी श्री जगदीश छीपा	58	183.33 वर्गगज	मोती भवन गृह निर्माण सहकारी समिति	आदर्श कॉलोनी	नाम हस्तान्तरण एवं लीज होल्ड से फ्री होल्ड हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र के आधार पर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपयुक्त जोन-11
उपजविप्रा, जयपुर-1
ज.वि.प्रा., जयपुर

उपयुक्त जोन-11
उपजविप्रा, जयपुर-1
ज.वि.प्रा., जयपुर